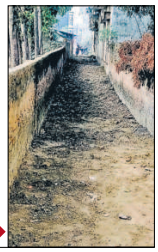

हिन्दुस्तान के खबर प्रकाशित करने के बाद नगर निगम ने मशीनें व कर्मचारी लगाकर साफ कराया कूड़ा

मटियारी में 25 साल बाद 20 हजार की आबादी के लिए खुल गया रास्ता

बोले लखनऊ असर

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मटियारी के आदर्शनगर की सड़क से बुधवार को 25 वर्ष बाद कूड़ा हटा। कूड़ा हटने के बाद सड़क पूरी तरह साफ हो गयी। इस रास्ते के बंद होने की वजह से 20 हजार आबादी को काफी दूर घूमकर आना पड़ता था। कूड़ा हटने के बाद रास्ता सुगम हो गया। नगर निगम के अधिकारियों ने यहां सुबह से शाम तक करीब 20 ट्रक कचरा हटवाया। जिसके बाद रास्ता चलने लायक हुआ। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह खुद मानिटरिंग कर रहे थे। नगर आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों ने कचरा हटवाने में पूरी ताकत लगा दी। तहसीलदार व लेखपालों को बुला लिया।

हिन्दुस्तान ने लखनऊ बोले अभियान के तहत मटियारी के आदर्श नगर की सड़क बंद होने की खबर प्रकाशित की थी। इस खबर का शासन प्रशासन और नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने संज्ञान लिया। बुधवार की सुबह ही नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी आकाश कुमार तथा जोनल सेनेटरी अफसर कुलदीप सिंह को फोन कर सख्त हिदायत दी। तत्काल जेसीबी मशीन, गाड़ियां व कर्मचारी लेकर मौके पर पहुंचने का आदेश किया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही शाम के चार बजे तक चलती रही। अधिकारियों के मुताबिक करीब 20 ट्रक कचरा हटाया गया। नगर निगम के जोनल सेनेटरी अफसर कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद शाम के चार बजे तक खड़े होकर पूरी सड़क खाली कराई।

20 ट्रक के करीब कचरा हटवाया गया सुबह से शाम तक

11 बजे सुबह शुरू हुई कार्रवाई जो शाम को चार बजे तक चली

अधिकारी बोले

मेरी जानकारी में यह प्रकरण नहीं था। जानकारी मिलने पर जोनल अधिकारी तथा जोनल सेनेटरी अफसर को तत्काल मौके पर रवाना किया। उन्हें हिदायत दी थी कि अगर आज सड़क खाली नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त

जेसीबी लगाकर सुबह से शाम तक की गई क्षेत्र की सफाई

तकरीबन शाम चार बजे तक पूरी सड़क कूड़े से खाली हो गई।

तहसीलदार व लेखपाल भी नक्शा लेकर मौके पर पहुंचे

पहले अधिकारियों को लगा जितनी दूर कचरा ढेर है वह किसी का प्लाट हो सकता है। लोग इसे रास्ता बता रहे। नगर निगम इसे हटवाकर रास्ता खोल दे तो बाद में विवाद पैदा हो। इसके लिए जोनल अधिकारी आकाश कुमार ने तहसीलदार और लेखपालों को भी मौके पर बुला लिया। रिकार्ड निकलवाया। नक्शे में देखा तो रोड निकली। इसके बाद जेसीबी लगाकर इसे शाम तक खाली करा दिया गया। आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि अगर दोबारा इस सड़क पर कूड़ा मिला जो जोनल सेनेटरी इंस्पेक्टर तथा सफाई इंस्पेक्टर दोनों सस्पेंड किए जाएंगे।

रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे 20 हजार लोग

हिन्दुस्तान ने बोले लखनऊ अभियान के तहत 10 जनवरी को मटियारी के आदर्श नगर की सड़क बंद होने की खबर प्रकाशित की थी, जिसका शासन-प्रशासन ने संज्ञान लिया।

लोगों ने हिन्दुस्तान को सराहा

मैं हिन्दुस्तान अखबार का बहुत आभारी हूं। पहले लोग घूमकर जाते थे। हिन्दुस्तान के खबर प्रकाशित करने के बाद नगर निगम की टीम ने आज पूरा रास्ता खुलवा दिया। **महेश्वर मिश्रा,** महासचिव, आदर्श नगर प्रगति संस्थान, आदर्श नगर मटियारी

25 वर्ष बाद सड़क खुल गयी बहुत अच्छा लग रहा है। हिन्दुस्तान इसके लिए बहुत-बहुत सराहना का पात्र है। अब लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हो गयी है। पहले बहुत घूमकर आना जाना पड़ता था। **ममता सिंह,** स्थानीय निवासी

काफी समय से सड़क खुलवाने के प्रयास में लगे थे। लेकिन कोई सुनवायी नहीं हो रही थी। नगर निगम में भी शिकायत की थी। स्थानीय जन प्रतिनिधियों से भी बात करके थक चुके थे। हिन्दुस्तान के प्रयास से सड़क खुल गयी। **रुद्र सिंह,** स्थानीय निवासी

वेंटिलेटर पर भर्ती महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पैरों का ऑपरेशन हुआ

केजीएमयू

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केजीएमयू आरएच हॉस्टल की छत से छलांग लगाने वाली एमडी छात्रा (रेजिडेंट डॉक्टर) की तबीयत स्थिर है। बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञों ने रेजिडेंट डॉक्टर के दोनों पैरों के फ्रैक्चर के ऑपरेशन किए। देर शाम तक ऑपरेशन चला। वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हालांकि एमडी छात्रा की तबीयत स्थिर है। गुरुवार सुबह तक वेंटिलेटर हटाया जा सकता है। डॉक्टरों की टीम रेजिडेंट डॉक्टर की सेहत की निगरानी कर रही है।

केजीएमयू के मेडिसिन विभाग में तैनात कानपुर की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने मंगलवार सुबह ड्यूटी से लौटने के बाद हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी थी। सुरक्षा गार्ड व साथियों ने गंभीर अवस्था में रेजिडेंट डॉक्टर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था। ट्रॉमा सर्जरी विभाग के डॉ. समीर मिश्र व डॉ. अनीता सिंह के निर्देशन में रेजिडेंट का इलाज चल रहा है। डॉक्टर की सलाह पर छात्रा को वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती किया गया है। छात्रा के दोनों पैरों की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों की टीम ने बुधवार को पैरों का ऑपरेशन किया। प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि छात्रा ने केजीएमयू से एमबीबीएस की पढ़ाई की। मेडिसिन विभाग में पीजी प्रथम वर्ष में दाखिला लिया। एक सप्ताह पूर्व जूनियर रेजीडेंट के तौर पर ज्वाइन किया। उन्होंने बताया कि छात्रा की तबीयत स्थिर है।

एसोसिएशन का आरोप काम का दबाव ज्यादा

केजीएमयू रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रेजिडेंट डॉक्टरों पर काम का अधिक दबाव होने का आरोप लगाया है। छात्रा के आत्महत्या के प्रयास के बाद एसोसिएशन पत्र जारी किया। इसमें रेजिडेंट डॉक्टरों पर काम का दबाव अधिक होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ दिव्यांश सिंह के मुताबिक केजीएमयू प्रशासन को रेजिडेंट के ड्यूटी घंटों के साथ ही तनाव प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

> नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों के हिसाब से ही रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आठ घंटे से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है।
>
> **डॉ. केके सिंह,** प्रवक्ता, केजीएमयू

मेयर ने पूछा, कहां चला गया स्लज

लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल बुधवार को अचानक भरवारा एसटीपी पहुंच गईं। उन्होंने यहां शोधित हो रहे जल की गुणवत्ता देखी। अधिकारियों से पूछा कि जो स्लज निकलता है वह कहां है। अधिकारी इधर उधर देखने लगे। सुएज कम्पनी के अधिकारियों ने कहा कि यहीं इधर उधर फेंका जाता है। मेयर ने कहा कि पांच साल में जो निकला है वह दिखाओ कहां है। मेयर को यहां तमाम खामियां मिली हैं। उन्होंने एसटीपी में सुधार का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वह एसटीपी से निकलने वाले शोधित जल की गुणवत्ता की शीघ्र जांच कराएंगी। एसटीपी की क्षमता व दक्षता को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इंजीनियरों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

महापौर सुषमा खरकवाल ने बुधवार को भरवारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम महापौर के साथ उपस्थित थीं।

फर्जी कनेक्शन चालू कर भेजा 46 हजार का बिल

- सम्पूर्ण समाधान दिवस में शून्य किया बिल
- पत्नी के नाम कनेक्शन पति के नाम भी बिल जारी

मोहनलालगंज, संवाददाता। मोहनलालगंज के पदमिनखेड़ा में पत्नी के नाम बिजली कनेक्शन लेने वाले शख्स के नाम भी लेसा ने कागजों पर कनेक्शन दे दिया। यही नहीं उसे हर महीने बिल भेजने के साथ करीब 46 हजार रुपये बकाया होने पर कनेक्शन काटने का नोटिस थमा दिया। पीड़ित ने कई शिकायत की, सुनवाई नहीं हुई। सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत के बाद जब जांच हुई तो बिजली विभाग ने आनन-फानन फर्जी कनेक्शन का बिल माफ करने की बात कही।

पदमिनखेड़ा में रहने वाले गोकरन ने पत्नी कुंवारा के नाम घरेलू बिजली का कनेक्शन ले रखा है। वह उसका नियमित बिल भी जमा करता चला आ रहा है। बिजली विभाग कुछ दिन बाद से गोकरन के नाम से एक और बिल देने लगा। उसने दूसरा कनेक्शन न होने की बात कही लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को समाधान दिवस पर 46,107 के बिल को स्थाई रूप से शून्य कर शिकायत निस्तारित की।

सुनवाई न होने पर 14 लोगों का परिवार आत्मदाह को पहुंचा

लखनऊ, संवाददाता। मलिहाबाद में 80 वर्षीय महिला के खेत में पड़ोसी ने बिजली पोल गड़वा दिया। उपकेंद्र कर्मियों ने लाइन भी खींच दी। करीब 45 दिन तक महिला मलिहाबाद तहसील पर लाइन हटवाने के लिए धरना देती रही। सुनवाई नहीं होने पर वृद्धा परिवार के 14 सदस्यों के साथ मंगलवार को आत्मदाह करने के इरादे से हजरतगंज विधानभवन पहुंच गई। फुटपाथ के पास मौजूद परिवार को देख आत्मदाह दस्ते में लगे पुलिस कर्मियों को संदेह हुआ। पुलिस कर्मियों ने 14 लोगों को किसी तरह से रोकने के बाद मलिहाबाद पुलिस को सूचना दी।

> दो पक्षों में बिजली लाइन को लेकर विवाद था। एसडीएम, तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की लाइन सरकारी जमीन पर बनी है। प्रकरण समाप्त हो गया।
>
> **भविष्य कुमार सक्सेना,** अधीक्षण अभियंता, अमौसी मंडल लेसा

इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को महाराजा परिवार के 13 सदस्यों के साथ विधानभवन के आत्मदाह के इरादे से आई थी। जिन्हें समय पर रोका गया।

नेताओं, अफसरों के नाम आयकर को भेजे

फॉलोअप

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी के कई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बेनामी सम्पत्ति एक्ट के तहत जांच शुरू हो गयी है। इनमें कई बड़े नेता, बिल्डर, नौकरशाह तथा व्यावसायी शामिल हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐसे 241 लोगों, प्रतिष्ठानों तथा आवंटियों के नामों की सूची आयकर विभाग को भेज दी है। अब आयकर विभाग में इनकी फाइल खुल गयी है। एलडीए ने पिछले 16 वर्षों में 1000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड खरीदने वालों के नाम भेजे हैं।

आयकर विभाग एक जनवरी 2008 से नवंबर 2024 तक लखनऊ में 1000 वर्ग मीटर व इससे बड़े भवन भूखंड खरीदने वालों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग को इनकी खरीद में ब्लैकमनी लगे होने का सुराग लगा था। इसके लिए उसने एलडीए व अन्य जिम्मेदार विभागों को पत्र लिखा था। उनसे ऐसे लोगों की सूची मांगी थी। अब एलडीए ने सूची भेज दी है। प्राधिकरण के सूची भेजने के साथ ही अब आयकर की बेनामी सम्पत्ति एक्ट की जांच में कई बड़े लोग फंस गए हैं। नेता, अफसर से लेकर व्यवसायी तक आ गये हैं। बेनामी सम्पत्ति निषेध इकाई के आईआरएस अफसर व डिप्टी कमिश्नर आलोक कुमार ने पांच नवम्बर 2024 को ही लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्य विभागों को पत्र लिखा था। उन्होंने एक जनवरी 2008 से लेकर एक नवम्बर 2024 तक एक हजार वर्गमीटर तथा उससे बड़े प्लाट व जमीनें खरीदने वालों का पूरा ब्योरा मागा था। आयकर विभाग ने लोगों के नाम, पते, कम्पनी के नाम, ट्रांजेक्शन एड्रेस, सम्पत्ति के लिए जमा रकम, खरीदने की तारीख तथा सम्पत्ति के प्रकार के बारे में जानकारी मांगी थी।

16 सालों में बड़े आवासीय तथा व्यावसायिक भूखंड खरीदने वाले प्रभावशाली लोगों में खलबली मच गई है। एलडीए के सूची भेजे जाने के बाद कई लोगों की नींद उड़ गयी है।

पंजीकरण नम्बर सहित पूरा विवरण भेजा गया

एलडीए ने कुल 241 बड़े लोगों, कम्पनियों के नामों की सूची भेजी है। इन लोगों ने ही इन 16 वर्षो में बड़े भूखण्ड खरीदे हैं। यह लोग संदेह के दायरे में पाए गये हैं। लिहाजा इनकी सूची भेज दी गयी है। हिन्दुस्तान ने पड़ताल की तो पता चला कि सूची में कई बड़े नेताओं की कम्पनियों के नाम भी शामिल हैं। यह नेता अपना नाम रोकने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन कोई बच पाया है। कई व्यवसायी व बिल्डरों के नाम भी इसमें हैं। यह सभी अब आयकर विभाग के बेनामी सम्पत्ति एक्ट के दायरे में हैं। जल्दी ही इनके पास नोटिस पहुंचेगी।

ग्रामीण भारत की ग्रोथ स्टोरी का लाभ उठाने का मौका

> ग्रामीण भारत की विकास गाथा में भाग लेने के इच्छुक निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल ऑपर्च्युनिटीज फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम ग्रामीण भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले और उससे लाभ उठाने वाले क्षेत्रों / कंपनियों पर केंद्रित है। न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) 9 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक निवेश के लिए खुला है।
>
> **सूर्यांश रस्तोगी,** म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, लखनऊ

हिन्दुस्तान | **सूर्यांश रस्तोगी**

भारत की जीडीपी ग्रामीण भारत में परिवर्तनकारी आर्थिक विस्तार के कारण वृद्धिशील वृद्धि देखने को मिलेगी। ग्रामीण भारत ने प्रति व्यक्ति आय 2,000 डॉलर से अधिक के महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है - एक ऐसी सीमा जिसने ऐतिहासिक रूप से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक विकास को गति दी है। ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहलों की बहुत बड़ी देन है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, चक्रीय मांग में सुधार और बाहरी झटकों के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण ने ग्रामीण भारत को एक आकर्षक निवेश विषय बना दिया है।

वर्षों के ठहराव के बाद ग्रामीण मजदूरी में ऊपर की ओर दौर ने और गति प्रदान की है। जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर, सरकारी रोजगार योजनाओं के बाहर बढ़ती श्रम मांग और गैर-कृषि क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी द्वारा समर्थित सकारात्मक मजदूरी वृद्धि जैसे सुधार के संकेत इस बदलाव को रेखांकित करते हैं। इन विकासों को प्रमुख उपभोक्ता स्टेपल कंपनियों के हालिया बयानों से बल मिलता है, जो ग्रामीण बाजारों में मजबूत मांग की उम्मीद करते हैं। ग्रामीण भारत में हो रहे बदलाव का मतलब सिर्फ क्षेत्रीय विकास ही नहीं है, बल्कि यह व्यापक आर्थिक बदलाव भी है, जो उपभोग के पैटर्न, निवेश के अवसरों और देश के विकास की दिशा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

(वित्तीय निवेश से पूर्व स्वयं समीक्षा अवश्य करें)

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, लखनऊ

ग्राउण्ड फ्लोर, अंचल कार्यालय, 10, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
मो. नं. 9839663320 ईमेल:cs8272@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो'** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. 827200317118A आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200
नोडल अधिकारी - श्री दिव्येन्दु गौरव, मुख्य प्रबन्धक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र लखनऊ, मो. 9839663320

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि दि.31.12.2024 को स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक /सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
1	**शाखा: 099720– राजाजीपुरम** **उधारकर्ता: सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन** (खाता संख्या **029300NC20061626** एवं **029300NC20061662**) **सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन के सभी कानूनी उत्तराधिकारी** 1. 39, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018 2. 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018 3. ए 16 सेक्टर जी अलीगंज डंडैया मार्केट निकट पेट्रोल पंप, लखनऊ 226024 **श्रीमती जेबा जहीर पत्नी सैयद निजमुल हसन,** (1). 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018 (2). ए 16 सेक्टर जी अलीगंज डंडैया मार्केट पेट्रोल पंप के पास लखनऊ 226024	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर ई 6/113 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 **क्षेत्रफल 40.74 वर्गमीटर** **सम्पत्ति मालिक: सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन** **चौहददी:** उत्तर: मकान नंबर 6/97 दक्षिण: 4.5 फीट चौड़ी सड़क पूर्व: मकान नंबर 6/112 पश्चिम: मकान नंबर 6/114	अ) 24.10.2017 ब)रू. 45,06,794.30 + ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 19.01.2018 द)सांकेतिक कब्जा (डीएम आदेश प्राप्त) डिमांड 13(2) दिनांक . **रू.** 26,32,215.30 **+ ब्याज एवं अन्य खर्चे,**	**अ)रू. 16.93 लाख** **ब)रू. 1.693 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**12.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
2	**शाखा : 185800–बाराबंकी, म्यूनिसिपल मार्केट** **उधारकर्ता–विभोर श्रीवास्तव** **(खाता नंबर 1858009300029029)** **विभोर श्रीवास्तव पुत्र हरिश्चंद्र श्रीवास्तव** हनुमंत नगर ककरहिया बाराबंकी 225001 **जमानतकर्ता: श्रीमती रेनू श्रीवास्तव पत्नी श्री विभोर श्रीवास्तव** हनुमंत नगर ककरहिया बाराबंकी 225001 मकान नंबर बी 791, मोहल्ला दयानंद नगर नवाबगंज बाराबंकी 225001	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति स्थित मकान खसरा संख्या 776 एवं 777 पर, ग्राम सुल्तानपुर (हनुमंत नगर कॉलोनी), परगना तहसील नवाबगंज, बाराबंकी **क्षेत्रफल 400.00 वर्ग मीटर** **सम्पत्ति मालिक श्रीमती रेनू श्रीवास्तव पत्नी श्री विभोर श्रीवास्तव।** **चौहददी:** उत्तर – शंकर का खेत , दक्षिण – पुद्दू का खेत पूर्व–नहर, पश्चिम –रामनाथ का खेत	(अ) 30.01.2024 (ब)रू. 12,17,402.16 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, (स) 08.04.2024 (द)सांकेतिक कब्जा **डिमांड 13(2) के अनुसार** रू. 12,65,698.86 + ब्याज एवं अन्य खर्चे,	**(अ)रू. 25.14 लाख** **(ब)रू. 2.51 लाख** **(स)रू. 0.10 लाख**	**12.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
3	**शाखा :लखनऊ–अमीनाबाद, 010010** **उधारकर्ता: ऋण खाता श्रीमती पूजा शर्मा और श्री सुमित कुमार शर्मा (010010ND0000013)** **उधारकर्ता/बंधककर्ता: –1. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी सुमित कुमार शर्मा** **2. श्री सुमित कुमार शर्मा पुत्र श्री राम चंद्र शर्मा** दोनों निवासी 1. 538 ब/1/247/10 रूपपुर खदरा, जयनिगम स्टोर के पास, पोस्ट ऑफिस: निराला नगर, लखनऊ 226020 2.538ब/4/275एच शिव नगर रूपपुर खदरा, सीतापुर रोड, निराला नगर, लखनऊ 226020 **3. प्रोप: आर एस एंटरप्राइजेज,** फ्लैट नंबर 207, द्वितीय तल, अंसल सिटी सेंटर हजरतगंज, लखनऊ 226001	साम्यिक बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित व्यवसायिक कार्यालय संख्या 207, द्वितीय तल, अंसल सिटी सेंटर, मोहल्ला चाइना बाजार, वार्ड–जगदीश चंद्र बोस मार्ग लखनऊ, **माप क्षेत्र 350 वर्ग फुट,** **सम्पत्ति मालिक श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी सुमित शर्मा** **चौहददी–** उत्तर–कॉरीडोर दक्षिण–खुला स्थान, पूर्व: फ्लैट नं. 208, पश्चिम–सीढ़ियाँ एवं शौचालय	अ) 19.12.2023 ब)रू. 22,74,897.67 + ब्याज एवं अन्य खर्चे स)26.02.2024 द)सांकेतिक कब्जा	**अ)रू. 18.22 लाख** **ब)रू. 1.83 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**12.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
4	**शाखा: एम जी मार्ग लखनऊ (667100)** **उधारकर्ता–श्री रोहित वर्मा** एवं **श्रीमती नीलम वर्मा** (**667100NC00001316 & 667100NT00000088**) श्री रोहित वर्मा, पता: मकान संख्या ld14 A टाइप 4 निकट लंगड़ा फाटक शांतिपुरम आलमबाग रेलवे कॉलोनी लखनऊ 226005 **श्रीमती नीलम वर्मा** पता: मकान संख्या ld14 A टाइप 4 निकट लंगड़ा फाटक शांतिपुरम आलमबाग रेलवे कॉलोनी लखनऊ 226005	1. सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर ई–111 सेक्टर एम कानपुर रोड योजना लखनऊ उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 30.312 वर्ग मीटर जोकि श्री रोहित के नाम पर है।** **डीड के अनुसार चौहददी–** पूर्व: मकान नंबर ई 110, पश्चिम: मकान नंबर 112 उत्तर: ग्राम, दक्षिण–3.00 मीटर चौड़ी सड़क 2. सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर ई–110 सेक्टर एम कानपुर रोड योजना लखनऊ उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 30.312 वर्ग मीटर जोकि श्री रोहित के नाम पर है।** **टाइटल डीड के अनुसार चौहददी–** पूर्व: मकान नंबर ई 109 पश्चिम: मकान नंबर 111 उत्तर: ग्राम, दक्षिण–3.00 मीटर चौड़ी सड़क	अ) 10.05.2024 ब)रू. 36,47,802.57 + ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 18.07.2024 द)सांकेतिक कब्जा	**संपत्ति संख्या 1 एवं 2 को संयुक्त रूप से नीलामी में रखा जाएगा और दोनों संपत्तियों के आरक्षित मूल्य को मिलाकर जो नीचे दिया गया है, निर्धारित किया जाएगा।** **अ)रू. 18.82 लाख** **ब)रू. 1.83 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**12.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
5	**शाखा : अमीनाबाद लखनऊ (010010)** **उधारकर्ता–मेसर्स ज़हीर पेपर वर्क्स** **प्रोपराइटर श्री जहीर हसन,** 396/178 अंगूरी बाग, कश्मीरी मुहल्ला, वार्ड मौलाना कल्वे आबिद, अमीनाबाद, लखनऊ। **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: सबा अब्बास पत्नी जहीर हसन** मकान नंबर 396/178 अंगूरी बाग, कश्मीरी मुहल्ला, वार्ड मौलाना कल्वे आबिद, अमीनाबाद, लखनऊ–226018	सभी भागं एवं हिस्सों सहित मकान नं. 396/178 स्थित अंगूरी बाग, कश्मीरी मोहल्ला, वार्ड मौलाना कल्वे आबिद, अमीनाबाद, लखनऊ 226018 **क्षेत्रफल 652 वर्ग फुट जोकि श्रीमती सबा अब्बास पत्नी श्री जहीर हसन के नाम पर है।** **चौहददी: (विलेख के अनुसार)** उत्तर: प्लॉट नंबर 2, दक्षिण: प्लॉट नंबर 1 का भाग, पूर्व: अराजी दीगर, पश्चिम: 14 फीट चौड़ी **रोड।**	अ) 09.05.2017 ब)रू. 96,46,458.00 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, स) 17.07.2017 द)सांकेतिक कब्जा	**अ)रू. 24.08 लाख** **ब)रू. 2.41 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**12.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
6	**शाखा : 185200–बंथरा जिला–लखनऊ** **उधारकर्ता: करण सिंह एवं गुड्डु सिंह दोनों पुत्र श्री विनोद प्रकाश सिंह (खाता नंबर 185200NC00000050)** **करन सिंह पुत्र श्री विनोद प्रकाश सिंह** **गुड्डु सिंह पुत्र श्री विनोद प्रकाश सिंह** दोनों निवासी (1) ई 6/113 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 (2) मकान नंबर 414/150 सराय माले खां चौक लखनऊ 226003 (3) एच 4/22 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 **श्री शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र श्री विनोद प्रकाश सिंह,** मकान नंबर 414/150 सराय माले खां चौक लखनऊ 226003 **श्री विनोद प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबू महावीर प्रसाद** मकान नंबर 414/150 सराय माले खां चौक लखनऊ 226003	सभी भागं एवं हिस्सों सहित मकान नंबर एच 4/22 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 **क्षेत्रफल 40.74 वर्गमीटर** **सम्पत्ति मालिक श्री करण सिंह और श्री गुड्डु सिंह पुत्र श्री विनोद प्रकाश सिंह।** **चौहददी–** उत्तर: मकान नंबर एच 4/21 दक्षिण: मकान नंबर एच 4/23, पूर्व: मकान नं. एच 4/11 पश्चिम: 6 मीटर रोड	अ) 09.09.2020 ब)रू. 26,28,004.00 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, स) 07.01.2021 द)सांकेतिक कब्जा (डीएम आदेश प्राप्त) **डिमांड 13(2) के अनुसार** **रू.** 14,55,237.00 **+ ब्याज एवं अन्य खर्चे,**	**अ)रू. 14.94 लाख** **ब)रू. 1.494 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**26.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही
7	**शाखा : 146800–लखनऊ चारबाग** **उधारकर्ता: यशवी इन्फोटेक** (खाता संख्या **146800870000l195**) **1. मेसर्स यशवी इन्फोटेक, प्रोप. श्रीमती रुचिता महाजन** मकान नं. 177–बी सेक्टर बी, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ 226012 दुकान नं. 21 प्रथम तल रतन प्लाजा आर्य नगर रोड नाका हिंडोला लखनऊ – 226004 **2. श्रीमती रुचिता महाजन पत्नी श्री कमल कुमार महाजन** दुकान नं. 21 प्रथम तल रतन प्लाजा आर्य नगर रोड नाका हिंडोला लखनऊ 226004 मकान नं. 177–बी सेक्टर बी, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ 226012 **3. श्री कमल कुमार महाजन पुत्र व श्री देव राज (जमानतकर्ता)** दुकान नं. 2,12,13 रतन प्लाजा आर्य नगर रोड नाका हिंडोला लखनऊ – 226004 मकान नं. 177–बी सेक्टर बी, हिंद नगर कॉलोनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ 226012	सभी भागं एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित दुकान संख्या 21, प्रथम तल बिल्डिंग संख्या 147,148 रतन प्लाजा, आर्य नगर रोड, नाका हिंडोला लखनऊ **जोकि श्रीमती रुचिता महाजन और श्री कमल कुमार महाजन के नाम पर है।** **क्षेत्रफल 6.50 वर्ग मीटर** **विलेख के अनुसार चौहददी:** उत्तर: दुकान एफएफ 1, दक्षिण: सीढ़ी एवं शटर, पूर्व: गुरुद्वारा, पश्चिम:गैलरी	अ) 18.09.2024 ब)रू. 43,58,318.33 +ब्याज एवं अन्य खर्चे, स) 05.12.2024 द)सांकेतिक कब्जा **डिमांड 13(2) के अनुसार** **रू.** 41,52,417.33 **+ ब्याज एवं अन्य खर्चे,**	**अ)रू . 11.60 लाख** **ब)रू. 1.16 लाख** **स)रू. 0.10 लाख**	**26.02.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक**	कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्ते– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "'जहाँ है वैसा है'', ''जैसा है वैसा है'' और ''जो भी हो' के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in. में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 16.01.2025 स्थान लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार